न्यायालय सत्र न्यायाधीश, फतेहपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 992 सन 2026

(CNR No. UPFT-010025802026)

सौरभ सिंह उर्फ सौरभ पटेल उर्फ करन पटेल पुत्र पवन कुमार मूल निवासी ग्राम हिनौता थाना महेवा घाट जनपद कौशाम्बी हाल पता 221आर/3आर, मुण्डेरा, महेन्द्र नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, थाना धूमनगंज शहर व जनपद प्रयागराज उ0प्र0।

..... आवेदक/अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजक

अपराध संख्या: 141 सन 2026
धारा: 304(1), 111, 317(2) व 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता
थाना: कोतवाली, जनपद फतेहपुर।

08.06.2026:

आवेदक/अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ सौरभ पटेल उर्फ करन पटेल की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या 141 सन 2026 धारा 304(1), 111, 317(2), 317(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से पवन कुमार द्वारा इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय में अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो दिया गया, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है।

अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शिवम शुक्ला ने दिनांक 15.04.2026 को सम्बन्धित थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि दिनांक 15.04.2026 प्रात: 7:35 ए0एम0 उसकी माता श्रीमती गीता शुक्ला प्रात: भ्रमण के लिये घर से बाहर गयी थी, भ्रमण करके वापस वर्मा चौराहा से वापस आते हुए यूनियन बैंक से पचास कदम आगे उसके घर की तरफ रोड के किनारे बने मन्दिर के पास एक लाल रंग की टी0वी0एस0 मोटरसाइकिल में सवार दो व्यक्ति जिसमें चालक हेलमेट एवं पीछे वाला टोपी व मास्क लगाये हुए था,

ने झपट्टा मारकर उसके मॉ के पास आकर सोन की चेन छीन ली तथा मोटरसाइकिल से चौक की तरफ भाग गये। सोने की चेन का वजन लगभग तीस ग्राम होगा।

जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की बहस सुना तथा केस डायरी आदि अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क रखा गया कि आवेदक निर्दोष है, उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक को पुलिस ने साजकर प्रयागराज स्थित सिविल लाइन्स में बुलाया, जहॉ आवेदक अपने मोबाइल सहित गया एवं वहां से उसे उसके घर के अन्दर जाकर मॉ व भाइयों की उपस्थित में पिता के नाम पंजीकृत मोटरसाइकिल यू0पी0 70/एच0जेड0–5627 टी0वी0एस0 राइडर, एक सोने की चैन व सात हजार रूपये उठा लाये तथा अगले दिन फर्जी बरामदगी दिखाकर प्रस्तुत प्रकरण सहित चार अन्य मामलों में झूंठा फंसा दिया। अभी तक शिनाख्त परेड नहीं करायी गयी है। सह अभियुक्तगण की जमानतें स्वीकार हो चुकी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक दिनांक 18.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/ अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत का घोर विरोध करते हुए यह तर्क रखा है कि आवेदक/अभियुक्त यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है किन्तु उनका नाम दौरान विवेचना प्रकाश में आया है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मोटरसाइकिल से वादी मुकदमा की मॉ गीता शुक्ला के गले की चेन लूट ली गयी। दौरान विवेचना दिनांक 18.04.2026 को पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान आवेदक/अभियुक्त सौरभ उर्फ करन पटेल को सह अभियुक्तगण ईशू रावत उर्फ अनुभव व अंशु कुशवाहा के साथ गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे दो अदद चेन एवं आयुध आदि बरामद किये गये तथा उक्त बरामदशुदा चेन में एक अदद चेन प्रस्तुत प्रकरण में लूटी गयी चेन है तथा आवेदक/अभियुक्त सहित सह अभियुक्तगण ने अभिकथित घटना सहित अन्य लूट की घटनाओं की संस्वीकृति किया है। अब तक की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित की गयी है। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त का प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त 10 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/ अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त पर आरोप है कि उसने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की माताजी के साथ लूट कारित किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभिकथित घटना दिनांक 15.04.2026 को 07:35 बजे की बतायी जाती

है और इसकी प्राथमिकी दिनांक 15.04.2026 को समय 20:57 बजे अंकित की गयी है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभिकथित घटना में वादी को कोई चोट कारित किया जाना नहीं बताया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त सौरभ उर्फ करन पटेल को सह अभियुक्तगण ईशू रावत उर्फ अनुभव व अंशु कुशवाहा के साथ मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा दिनांक 18.04.2026 को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से रूपये, दो अदद चेन एवं आयुध आदि बरामद होना बताया गया है तथा उक्त बरामदशुदा चेन में प्रस्तुत प्रकरण में वादी की माता गीता शुक्ला की लूटी गयी चेन शामिल होना बताया गया है किन्तु अभिकथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक/अभियुक्त को उसके घर स्थित जनपद प्रयागराज से पुलिस द्वारा पकड़कर फर्जी मुठभेड़ व बरामदगी दर्शित कर झूंठा फंसाया गया है। उनकी ओर से यह भी कथन किया गया कि अभियोजन द्वारा आवेदक/ अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है, उनमें वह जमानत पर है और उसे किसी भी मामले में किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्तगण ईशू रावत उर्फ अनुभव व अंशु कुशवाहा की जमानतें इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है और आवेदक/अभियुक्त का मामला भी उन्हीं के समान बताया गया है।

मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, केस की गम्भीरता, अपराध कारित करने में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका, दण्ड की मात्रा, समानता के आधार को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन की पृष्ठभूमि में आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्तियुक्त आधार मौजूद है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त सौरभ सिंह उर्फ सौरभ पटेल उर्फ करन पटेल की ओर से प्रस्तुत उक्त जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को उसके द्वारा मु0 50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर, निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाय–

1. आवेदक/अभियुक्त अन्तर्गत धारा 480 उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उल्लिखित बन्धपत्र की शर्तो का कठोर पालन करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा तथा आरोपपत्र प्रस्तुत होने की स्थिति में आरोप विरचित किये जाने, धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बयान अंकित किये जाने इत्यादि की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा और स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।

4. आवेदक/अभियुक्त किसी भी अभियोजन साक्ष्य को दबाव में लेने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा।

5. आवेदक/अभियुक्त इस मामले के तथ्य से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न डरायेगा, न धमकायेगा और न ही प्रभावित करेगा।

6. आवेदक/अभियुक्त इस आशय का बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित होगा और धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बयान के समय स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि सम्बन्धित न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करे।

7. आवेदक/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक माह की सात तारीख को सम्बन्धित थाने में हाजिरी देगा।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित थाना प्रभारी अधिकारी को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांक: 08.06.2026

(**रामकिशोर–III**)
कृते सत्र न्यायाधीश,
फतेहपुर।